मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक : एफ 1–7/2007/20–1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रति,

1. कलेक्टर, म0प्र0 ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0 ।
3. आयुक्त नगर निगम, म0प्र0 ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,म0प्र0 ।
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, म0प्र0 ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म0प्र0 ।
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

   जिला– (भोपाल, बैतूल, टीकमगढ़ एवं सीधी कुल 04 जिले) म0प्र0 ।

विषयः–संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के रिक्त पदों का अनुमोदन उपरान्त (भोपाल, बैतूल, टीकमगढ़ एवं सीधी कुल 04 जिले) जिलों का वितरण ।

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत / नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 4 (1) के तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण को जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 04 जिलों में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक/4460/4060/06/ 20–1, भोपाल, दिनांक 14–11–2006 अनुसार सीधी भर्ती अंतर्गत 23 एवं पदोन्नति अंतर्गत 21 रिक्त पद (प्रपत्र–1–अ एवं प्रपत्र–1–ब) भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । रिक्त पदों की गणना करने का दायित्व संबंधित जिलों का होगा, इसकी काउंटर चेकिंग कोषालय डाटाबेस में भी करावें ।

2. संविदा शाला शिक्षकों के इन पदों के भर्ती के लिए नियम, 2005 एवं इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों का पालन करते हुए भर्ती की जाएं ।

3. रिक्त पदों को भरने पर इस वित्तीय वर्ष के शेष माहों में जो व्यय भार आवेगा उसका प्रावधान बजट में सम्मिलित कर स्थानीय निकायों एवं पंचायतों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

संलग्न : प्रपत्र–1, 1(अ) एवं 1(ब)

(के0सी0 पंत)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक : एफ 1–7/2007/20–1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन ।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन ।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन ।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष कमांक–84, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ,म0प्र0 शासन ।
7. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
9. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
10. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0 ।
11. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0 ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग ।
13. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0 ।
14. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल, म0प्र0 ।
15. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0 ।

अवर सचिव

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के रिक्त पदों के भर्ती हेतु पदों का जिलेवार वितरण (प्रपत्र–1)

स0क0	जिले का नाम	दि0 1.1998 को व्याख्याता के कुल स्वीकृत पद			दि0 01–04–07 की स्थिति में पदोन्नति संवर्ग के व्याख्याता कार्यरत /रिक्त होने वाले पद		दि0 01–04–07 की स्थिति में सीधी भर्ती संवर्ग के व्याख्याता के कार्यरत/ रिक्त होने वाले पद		शिक्षाकर्मी वर्ग–1 के पदोन्नति हेतु कॉलम कमांक–9 का 50 प्रतिशत	संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 भर्ती हेतु शेष पद कॉलम कमांक–9 का 50 प्रतिशत	दि0 1.1.98 के पश्चात् दि0 31–03–07 तक शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं संशाशि वर्ग–1 के स्वीकृत कुल पद	दि0 01–04–07 की स्थिति में शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 के पद		दि0 01–04–07 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 के उपलब्ध कुल रिक्त पद (11+14)	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पद
		पदोन्नति	सीधी भर्ती	योग	कार्यरत	रिक्त (3–6)	कार्यरत	रिक्त (4–8)				कार्यरत	रिक्त (12–13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भोपाल	193	192	385	193	0	192	0	0	0	6	6	0	0	0
2	बैतूल	92	92	184	46	46	87	5	3	2	31	29	2	4	4
3	टीकमगढ	150	149	299	75	75	149	0	0	0	15	15	0	0	0
4	सीधी	196	197	393	129	67	161	36	18	18	78	77	1	19	19
	योग	631	630	1261	443	188	589	41	21	20	130	127	3	23	23

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 हेतु विषयवार गणना पत्रक

प्रपत्र–1 (अ)

स0क0	जिला का नाम	दि0 01–04–07 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 हेतु उपलब्ध रिक्त पद (प्रपत्र–1 के कॉलम कमांक–15 अनुसार)	सीधी भर्ती (विषयवार रिक्त पदों की संख्या)															
			हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	संस्कृत	गणित	भौतिक विज्ञान	जीव विज्ञान	रसायन विज्ञान	गृह विज्ञान	वाणिज्य	इतिहास	भूगोल	राजनीति शास्त्र	अर्थशास्त्र	कृषि विषय	कुल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बैतूल	4	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
2	सीधी	19	1	4	0	0	4	3	2	2	0	0	0	2	0	1	0	19	
	योग	23	1	5	0	0	5	3	3	3	0	0	0	2	0	1	0	23	

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

शिक्षाकर्मी वर्ग–1 पर पदोन्नति हेतु विषयवार गणना पत्रक

प्रपत्र–1 (ब)

स0क0	जिला का नाम	दि0 01–04–07 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1 हेतु उपलब्ध रिक्त पद (प्रपत्र–1 के कॉलम कमांक–10 अनुसार)	पदोन्नति हेतु विषयवार रिक्त पदों की संख्या																
			हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	संस्कृत	गणित	भौतिक विज्ञान	जीव विज्ञान	रसायन विज्ञान	गृह विज्ञान	वाणिज्य	इतिहास	भूगोल	राजनीति शास्त्र	अर्थशास्त्र	कृषि विषय	कुल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	बैतूल	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	
2	सीधी	18	0	4	0	0	5	2	4	1	0	0	0	2	0	0	0	18	
	योग	**21**	**1**	**4**	**0**	**0**	**5**	**3**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**21**	

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन—462003

क्रमांक : एफ 1—10/2007/20—1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रति,

1. कलेक्टर, म0प्र0 ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0 ।
3. आयुक्त नगर निगम, म0प्र0 ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,म0प्र0 ।
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, म0प्र0 ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म0प्र0 ।
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

जिला— सीधी, शाजापुर, भोपाल, बैतूल एवं सीहोर, म0प्र0 ।

विषयः—संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2 के रिक्त पदों का अनुमोदन उपरान्त 05 जिलों का वितरण । (सीधी, शाजापुर, भोपाल, बैतूल एवं सीहोर)

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 4 (1) के तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण को जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 09 जिलों में इस विभाग के परिपत्रा क्रमांक/4460/4060/06/ 20—1, भोपाल, दिनांक 14—11—2006 के अनुसार सीधी भर्ती अंतर्गत परिशिष्ट—1 अनुसार 682 संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2 के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । रिक्त पदों पर भरती के पूर्व संलग्न परिशिष्ट—1 में आपके जिले के नाम के सम्मुख स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों की पुष्टि कर ली जाए ।

2. संविदा शाला शिक्षकों के इन पदों पर भर्ती नियम, 2005 एवं इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों का पालन करते हुए भरती की जाएं । यदि यह संख्या अधिक हो तो उस सीमा तक रिक्त पद कम कर लिये जाएं ।

3. जिलेवार आवंटित किये गये रिक्त पदों को निकायवार एवं विषय समूहवार वितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएं । विषय समूहवार संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना इस विभाग के परिपत्र क0एफ—1/512/2002/बीस—1 भोपाल दिनांक 19 मई 2004, क्रमांक/एफ 1—13/2005/20—1,दिनांक 08—06—2005 एवं आदेश क्रमांक एफ—57—36/2004/20—2, दिनांक 19.07.2005 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर की जाए ।

4. शालावार रिक्त पदों का चिन्हांकन कर लिया जाए ताकि चयन उपरान्त चयनित व्यक्तियों का पदांकन किया जा सकें ।

5. शालाओं में रिक्तियों की गणना करते समय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की शालाओं के लिए उनके मापदण्डों का अनुसरण किया जाए ।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण विषय समूहवार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी द्वारा निकायवार संधारित रोस्टर के आधार पर होगा एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण जिलास्तरं पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।

संलग्न : परिशिष्ट—1

(के0सी0 पंत)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक : एफ 1—10/2007/20—1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन ।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन ।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन ।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष कमांक—84, वल्लभ भवन, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ,म0प्र0 शासन ।
7. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
9. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
10. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0 ।
11. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0 ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग ।
13. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0 ।
14. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल, म0प्र0 ।
15. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0 ।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के रिक्त पदों का अनुमोदन उपरान्त जिलेवार वितरण

परिशिष्ट–1

सं0 क0	जिले का नाम	दिनांक 1.1998 को शिक्षक के कुल स्वीकृत पद			पदोन्नति संवर्ग के शिक्षक के पद		दि0 01–04–07 सीधी भर्ती संवर्ग के शिक्षक के पद		शिक्षाकर्मी वर्ग–2 के पदोन्नति हेतु कॉलम कमांक–9 का 50 प्रतिशत	संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 भर्ती हेतु शेष पद कॉलम कमांक–9 का 50 प्रतिशत	दि0 1.1.98 के पश्चात् दि0 31–03–07 तक कुल स्वीकृत नवीन पद			दि0 01–04–07 की स्थिति में कार्यरत शिक्षक				दि0 01–04–07 की स्थिति में रिक्त पद (14–18)	दि0 01–04–07 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 के उपलब्ध कुल रिक्त पद (11+19)	नियोजन हेतु उपलब्ध रिक्त पद
		पदोन्नति	सीधी भर्ती	योग	कार्यरत	रिक्त (3–6)	कार्यरत	रिक्त (4–8)			सर्व शिक्षा अभियान के तहत् स्वीकृत पद	अन्य स्वीकृत पद	योग	शिक्षाकर्मी वर्ग–2	संशाशि0 वर्ग–2 सर्व शिक्षा अभियान के तहत् स्वीकृत पदों पर कार्यरत	संशाशि0 वर्ग–2 अन्य स्वीकृत पदों पर कार्यरत	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	सीधी	404	403	807	341	63	403	0	0	0	1553	206	1759	0	1238	206	1444	315	315	217
2	शाजापुर	278	278	556	152	126	278	0	0	0	1165	36	1201	0	934	13	947	254	254	254
3	भोपाल	299	298	597	189	110	298	0	0	0	441	27	468	16	376	1	393	75	75	69
4	बैतूल	172	173	345	159	13	173	0	0	0	273	118	391	53	273	65	391	0	0	0
5	सीहोर	232	232	464	151	81	204	28	14	14	718	140	858	40	613	77	730	128	142	142
	योग	**1385**	**1384**	**2769**	**992**	**393**	**1356**	**28**	**14**	**14**	**4150**	**527**	**4677**	**109**	**3434**	**362**	**3905**	**772**	**786**	**682**

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक : एफ 1–11/2007/20–1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रति,

1. कलेक्टर, म0प्र0 ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0 ।
3. आयुक्त नगर निगम, म0प्र0 ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,म0प्र0 ।
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, म0प्र0 ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म0प्र0 ।
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

जिला– भोपाल, बैतूल, शाजापुर, श्योपुर, टीकमगढ़ एवं सीधी , म0प्र0 ।

विषयः–संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों का अनुमोदन उपरान्त 06 जिलों का वितरण (भोपाल, बैतूल, शाजापुर, श्योपुर, टीकमगढ़ एवं सीधी)।

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत / नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम, 2005 के नियम 4 (1) के तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण को जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 12 जिलों में इस विभाग के परिपत्रा कमांक/4460/4060/06/ 20–1, भोपाल, दिनांक 14–11–2006 के अनुसार सीधी भर्ती अंतर्गत परिशिष्ट–1 अनुसार 1471 संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।रिक्त पदों पर भरती के पूर्व संलग्न परिशिष्ट–1 में आपके जिले के नाम के सम्मुख स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या की पुष्टि कर ली जाए । कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर उतनी संख्या में रिक्त पदों में से संख्या कम कर ली जाएं ।

2. संविदा शाला शिक्षकों के इन पदों पर भर्ती नियम, 2005 एवं इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों का पालन करते हुए भरती की जाएं । यदि यह संख्या अधिक हो तो उस सीमा तक रिक्त पद कम कर लिये जाएं ।

3. जिलेवार आवंटित किये गये रिक्त पदों को निकायवार वितरण जिला कलेक्टर किया जाएं। संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना इस विभाग के परिपत्र कमांक/एफ1–13/ 2005/20–1, दिनांक 08–06–2005 एवं आदेश कमांक एफ–57–36/2004/20–2, दिनांक 19.07.2005 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर की जाए ।

4. उन शालाओं का चिन्हांकन कर लिया जाए जहां पद रिक्त हैं । तत्पश्चात इन शालाओं के संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया जाए । चयन उपरान्त चयनित व्यक्तियों का पदांकन कलेक्टर आदेश द्वारा चिन्हित शालाओं में किया जाए ।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी स्तर पर निकायवार संधारित रोस्टर के आधार पर होगा एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण जिलास्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।

6.1 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 तक शिक्षा गारन्टी शालाओं से प्राथमिक शालाओं में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी शालाओं में गुरूजी के रिक्त पदों पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की नियुक्ति की जानी हैं । इन प्रोन्नत शालाओं हेतु प्रति शाला दो शिक्षक का प्रावधान किया गया हैं । इनमें संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी :–

(i) प्राथमिक शालाओं में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी शाला में पूर्व से एक गुरूजी के कार्यरत रहने पर द्वितीय गुरूजी के पद की पूर्ति संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के एक पद से की जाएगी ।

(ii) प्राथमिक शालाओं में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी शाला में दोनों पदों पर गुरूजी के कार्यरत होने की दशा में प्रोन्नत शाला में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –3 की नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

(iii) प्राथमिक शाला में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी शाला का संचालन यदि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था (अटैचमेंट) आदि से करवाया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत शाला में गुरूजी के दोनों पदों की पूर्ति संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –3 से की जावेगी ।

(iv) किसी भी स्थिति में शिक्षा गारंटी शालाओं से प्रोन्नत प्राथमिक शालाओं में गुरूजी एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6.2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं में उन्नयन की गई शिक्षा गारंटी शालाओं के लिए यह पद स्वीकृत किये गये हैं । अतः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 की पूर्ति निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाली प्राथमिक शालाओं में प्रोन्नत शिक्षा गारंटी शालाओं में ही की जाए ।

<u>संलग्न : परिशिष्ट–1</u>

(के0सी0 पंत)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक : एफ 1–11/2007/20–1/ भोपाल, दिनांक 25/6/07

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन ।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन ।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन ।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष कमांक–84, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ,म0प्र0 शासन ।
7. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
9. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन ।
10 आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0 ।
11 आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0 ।
12 आयुक्त, जनसंपर्क विभाग ।
13 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0 ।
14 संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल, म0प्र0 ।
संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0 ।

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों की भर्ती हेतु पदों का जिलेवार वितरण

परिशिष्ट–1

क्र0	जिले का नाम	1.1998 को सहायक शिक्षक के कुल स्वीकृत पद	1.1.98 के पश्चात् दि0 31–03–07 तक शिक्षाकर्मी वर्ग–3 एवं संशाशि वर्ग–3 के नवीन स्वीकृत कुल पद			कुल स्वीकृत पदों का योग (3+4+5)	दि0 01–04–07 की स्थिति में कार्यरत सहायक शिक्षक					दि0 01–04–07 की स्थिति में सहायक शिक्षकओं के रिक्त पदों के विरूद्व शिक्षाकर्मी वर्ग–3 एवं संशाशि वर्ग–3 के नियोजन के पश्चात् रिक्त पद	सीधी भर्ती के लिए संशाशि0 श्रेणी–3 के नियोजन हेतु उपलब्ध रिक्त पद (7–12)	सीधी भर्ती के लिए संशाशि0 श्रेणी–3 के वितरित रिक्त पद
			सर्व शिक्षा अभियान के तहत् स्वीकृत पद	अन्य स्वीकृत पद	योग		सहायक शिक्षक	शिक्षाकर्मी वर्ग–3	संशाशि0 वर्ग–3		योग (8+9+ 10+11)			
									सर्व शिक्षा अभियान के तहत् स्वीकृत पदों पर कार्यरत	अन्य स्वीकृत पदों पर कार्यरत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भोपाल	3194	192	292	484	3678	2225	790	148	358	3521	157	157	157
2	बैतूल	1534	361	667	1028	2562	1208	834	132	354	2528	34	34	34
3	शाजापुर	3753	352	272	624	4377	1752	1294	249	557	3852	525	525	525
4	श्योपुर	1154	93	304	397	1551	251	759	328	82	1420	131	131	131
5	टीकमगढ़	3876	1082	571	1653	5529	2090	1786	1082	571	5529	0	0	0
6	सीधी	4641	1940	1065	3005	7646	2372	2256	1464	930	7022	624	624	624
	योग	18152	4020	3171	7191	25343	9898	7719	3403	2852	23872	1471	1471	1471

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग